

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री अ. द. श्री. उ. एस. ड. कागड RAS

प्रकरण संख्या 1 / 2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

संज्ञा पत्र प्रदान कर्ता के सम्बन्ध में

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

अ. द. श्री. उ. एस. ड. कागड कागड  
के सम्बन्ध में

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री. चानाडसिंह शम्भूदास

कमिश्नर प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 26-6-19

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम संज्ञा तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

1232 रकबा 0.09, 1235 रकबा 0.05, 1236 रकबा 0.20

1237 रकबा 0.20, 1240/2196 रकबा 0.13

कुल किता 5 रकबा 0.67 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम संज्ञा संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा संज्ञा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 5 रकबा 0.67 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 2000 रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26-6-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ए. ए.

आर. एस. ड. कागड

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी ए. ए.

आर. एस. ड. कागड

शाहपुरा (भीलवाड़ा)